राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या–2144/रा0नि0आ0–2/989/2009
देहरादूनः दिनांक 30 मार्च, 2011

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) की क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन।

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या–222/XII/2011/2007टी0सी0II दिनांक 25 मार्च, 2011 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के पश्चात विभिन्न कारणों से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, उप–निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में **सदस्य क्षेत्र पंचायत** के इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर **उप निर्वाचन** निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायें:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
07.04.2011 एवं 08.04.2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	11.04.2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13.04.2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	13.04.2011 (अपराह्न 13.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24.04.2011 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 1700 बजे तक)	27.04.2011 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की क्षेत्र पंचायत के सभी रिक्त स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 01.04.2011** को जारी करेंगे, और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम) (यथासंशोधित) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य, मतों की गणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

30/3/20

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमशः......2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी वाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

<u>संख्याः–2144(1)/रा0नि0आ0अनु0–2/989/2009तद्दिनांक।(फैक्स)</u>
<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचमार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
13. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
14. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
20. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
21. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10(दस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।